

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
अनुपस्थित बनाए रवि श्वरी

तारीख हुक्म
27.08.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय

नम्बर व त
अहकाम ज
हुक्म की त
में जारी

पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक
रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय
उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है।
अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र
स्थगन अंतर्गत धारा 151 सीपीसी अदम हाजरी व अदम पैरवी
में खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद
तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

